न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,गंगापुर जिला भीलवाड़ा
**पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.**

प्रकरण संख्याः– 34/2021 (2021/220) दर्ज दिनांक 02.06.2021
वाद– अन्तर्गत धारा –88, 89 आर0टी0एक्ट एवं 136 एल0आर0एक्ट

**शीर्षक**

छीतर पिता केला रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
2. किशन पिता नानुराम नट निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादी

उपस्थिति अधिवक्ता वादीः– श्री ललित सुराणा
पेरोकार सरकार

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 व 91 आर0टी0एक्ट**

## निर्णय

दिनांक 09.07.2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत वाद बाबत् 88, 89 व 91 आर0टी0एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम कोशीथल पटवार हल्का कोशीथल तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में मुझ वादी के खातेदारी अधिकार व आधिपत्य की साबिक बन्दोबस्त की आराजी संख्या 1571 रकबा 15 बिस्वा भूमि स्थित थी जिसकी किस्म कुद्वितीय एवं पाली के रूप में थी जो साबिक नं0 किस्म चाह नं0 1545 से सिंचित होती थी। इस आराजी नं0 1571 में कोई भी कुंआ या खड्डा मौके पर कभी नहीं था व न ही वर्तमान में है।

यह कि नवीन बन्दोबस्त होने पर साबिक आराजी नं0 1571 के दो नवीन आराजी नं0 2178 रकबा 0.09 हे0 चाही प्रथम व आराजी नं0 2179 रकबा 0.07 हे0 दर्ज किये । आराजी नं0 2179 को से[illegible] विभाग ने खसरा पृतक संवत 2045 में भूमि वर्गीकरण कॉलम में इसको [illegible] ही अंकित किया था । किन्तु बाद में इस चाही प्रथम शब्द को [illegible]कार रूप में बना [illegible] उसका नया वर्गीकरण गे0मु0आ0चा0 लिख दिया गया जबकि मौके पर आ0चा0 [illegible]र्थात कुआ इस भूमि पर कभी रहा ही नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.09 15:31:17 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with CamScanner

यह कि भूमि वर्गीकरण बाबत उक्त गलत अंकन राजस्व अभिलेख में भू–प्रबंध विभाग द्वारा अनाधिकार कर दिया गया जब कि भू–प्रबंध विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों का यह कर्तव्य है कि वे पुराने अभिलेख में दर्ज इन्द्राजों के अनुरूप ही नवीन बन्दोबस्त में बनने वाले अभिलेखो में इन्द्राज करें। भूमि की किस्म व वर्गीकरण परिवर्तीत करने का भू – प्रबंध विभाग को कोई भी अधिकार नहीं हैं।

यह कि उक्त कारण से नवीन आराजी संख्या 2179 रकबा 0.07 हे0 के भूमि वर्गीकरण के कॉलम में जो गे0मु0चा0 गलत तोर से लिख दिया गया है इस की इन्द्राज दुरूस्ती करायीजाकर भुमि वर्गीकरण के कॉलम में गे0मु0 चाह की जगह चाही प्रथम अंकित कराया जाना आवश्यक है। इस बाबत् घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी पारित कराया जाना आवश्यक है।

अतः सादर प्रार्थना हैं कि घोषणा व इन्द्राज की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादर फरवाई जावे कि ग्राम कोशीथल पटवार हल्का कोशीथल तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में मुझ वादी के खातेदारी अधिकार व आधिपत्य की आराजी नं0 2179 रकबा 0.07 हे0 के राजस्व अभिलेखों में इस आराजी के भूमि वर्गीकरण के कॉलम में गे0मु0चाह शब्द को हटाया जाकर उसके स्थान पर इन्द्राज दुरूस्ती द्वारा चाही प्रथम अंकित कराया जावें।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 व 91 आर.टी.ए. का इस न्यायालय में दिनांक 02.06.2021 को पंजिबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी संख्या 01 औपचारिक पक्षकार होने से जवाबदेही बंद की गई। पेरोकार सरकार उपस्थित। पेरोकार सरकार से नाम के संबंध में रिपोर्ट तलब की गई। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण के संबंध में मौका रिपोर्ट तलक करने हेतु निवेदन किया जिससे उक्त प्रकरण की आराजी के संबंध में तहसीलदार सहाड़ा को मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार सहाड़ा के पत्रांक /राजस्व/21/494 दिनांक 08.07.2021 से मौका प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार हैः–

– यह कि कोशीथल की आराजी नं0 2178 रकबा 0.09 एवं आराजी नं0 2179 रकबा 0.07 हे0 किता 02 रकबा 0.16 हे0 भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में छीतर पिता केला रेगर निवासी कोशीथल के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है, उक्त आराजी नं0 2178 व 2179 किता 02 रकबा 0.16 भूमि के साबिक आराजी नं0 1571 मी रकबा 15 बिस्वा होकर किस्म कु0 द्वितीय 14 बिस्वा व पाली एक बिस्वा दर्ज रेकार्ड थी। मिलान क्षेत्रफल व साबिक जमाबंदी की प्रति संलग्न है।

– यह कि भू –प्रबंध कार्यवाही के दौरान [illegible] नं0 2179 रकबा 0.07 हे0 भूमि में मौके पर कोई चाही नहीं होते हुए भी [illegible] 0.07 हे0 किस्म गे0मु0चाह दर्ज रेकार्ड कर दी गई हैं।

– यह कि आराजी नं0 2178 रकबा 0.09 हे0 भूमि किस्म चाही प्रथम में से मौके पर 0.01 हे0 भूमि पर चाह बना हुआ है, शेष 0.08 हे0 भूमि कृषि उपयोग ली जा रही हैं।



Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.09 15:31:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अतः बाद जांच रिपोर्ट मय मौका पर्चा व आवश्यक राजस्व रेकार्ड सहित श्रीमान की सेवामें प्रेषित कर निवेदन है कि उक्तानुसार ग्राम कोशीथल के आराजी नं0 2178 रकबा 0.09 हे0 किस्म चाही प्रथम के बजाय चाही प्रथम 0.08 हे0, गे0मु0 चाह 0.01 हे0 तथा आराजी नं0 2179 रकबा 0.07 हे0 भूमि कि किस्म मौके व साबिक रेकार्ड अनुसार गे0मु0चाह के बजाय चाही प्रथम दर्ज किया जाना उचित है।

वादी अधिवक्ता अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा न्यायालय का ध्यान इस ओर आकृषित किया कि वादी ने अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने बाबत् दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं अतः वाद पत्र में चाही गई रिलीफ के अनुसार वाद पत्र वादी के पक्ष में स्वीकार किया जावें।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों एवं पेरोकार सरकार तहसीलदार सहाड़ा की रिपोर्ट अनुसार वादी का वाद बाबत 88, 89 व 91 आर0टी0एक्ट का यह न्यायालय वादी के पक्ष में स्वीकार किया जाना उचित समझतता है अतएवं–

## –: आदेश :–

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम कोशीथल पटवार हल्का कोशीथल तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में वादी के खातेदारी अधिकार व आधिपत्य की आराजी नं0 2179 रकबा 0.07 हे0 के राजस्व अभिलेखों में इस आराजी के भूमि वर्गीकरण के कॉलम में गे0मु0चाह शब्द को हटाया जाकर उसके स्थान पर इन्द्राज दुरूस्ती द्वारा चाही प्रथम अंकित किये जाने एवं आराजी नं0 2178 रकबा 0.09 हे0 किस्म चाही प्रथम के स्थान पर 0.08 हे0 चाही प्रथम तथा 0.01 हे0 गे0मु0 चाह दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2021 को सरे इजलाज सुनाया गया। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर रिकार्ड में कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.09 15:31:17 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर



Scanned with CamScanner

## मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 34/2021 (2021/220) दर्ज दिनांक 02.06.2021
वाद– अन्तर्गत धारा –88, 89 व 91 आर0टी0एक्ट

**शीर्षक**

छीतर पिता केला रेगर निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
वादी

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
2. किशन पिता नानुराम नट निवासी कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादी

उपस्थिति अधिवक्ता वादीः– श्री ललित सुराणा
पेरोकार सरकार

डिक्री दिनांक 09.07.2021

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री ललित सुराणा एवं पेरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 09.07.2021 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती हैं कि ––––×–––––– और इस वाद के खर्च लेखे ––––×–––––– रूपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ––––×–––––– प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ––––×–––––– द्वारा ––––×–––––– को दी जाए।

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम कोशीथल पटवार हल्का कोशीथल तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में वादी के खातेदारी अधिकार व आधिपत्य की आराजी नं0 2179 रकबा 0.07 हे0 के राजस्व अभिलेखों में इस आराजी के भूमि वर्गीकरण के कॉलम में गे0मु0चाह शब्द को हटाया जाकर उसके स्थान पर इन्द्राज दुरूस्ती द्वारा चाही प्रथम अंकित किये जाने एवं आराजी नं0 2178 रकबा 0.09 हे0 किस्म चाही प्रथम के स्थान पर 0.08 हे0 चाही प्रथम तथा 0.01 हे0 गे0मु0 चाह दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.09 15:31:17 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री आज दिनांक 09.07.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

Scanned with CamScanner